झारखंड के उच्च न्यायालय
रिट याचिका संख्या 1710/2022

सिंह एंटरप्राइजेज (एक स्वामित्व वाली संस्था) अपने स्वामी मुन्ना सिंह के माध्यम से। .....याचिकाकर्ता

बनाम

1. भारत संघ, सीजीएसटी और सीएक्स, जमशेदपुर के आयुक्त के माध्यम से, कार्यालय आउटर सर्कल रोड, बिस्टुपुर,डाकघर- बिष्टुपुर, थाना- बिस्टुपुर, जमशेदपुर, जिला- पूर्वी सिंहभूम, पिनकोड -831001 (झारखण्ड)।

2. सीजीएसटी और सीएक्स, जमशेदपुर के संयुक्त आयुक्त, कार्यालय आउटर सर्कल रोड, बिस्टुपुर,डाकघर- बिष्टुपुर, थाना- बिस्टुपुर, जमशेदपुर, जिला- पूर्वी सिंहभूम, पिनकोड -831001 (झारखण्ड)।

3. वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) खुफिया महानिदेशक, क्षेत्रीय इकाई, जमशेदपुर, अपने अतिरिक्त निदेशक, जमशेदपुर के माध्यम से, जिसका कार्यालय दूसरी और तीसरी मंजिल, शौर्य व्यापार केंद्र, धालभूम रोड, डाकघर और थाना साकची, जमशेदपुर, जिला- पूर्वी सिंहभूम। .....प्रतिवादीगण

कोरमः माननीय न्यायमूर्ति श्री रोंगोन मुखोपाध्याय,
माननीय न्यायमूर्ति श्री दीपक रोशन

याचिकाकर्ता के लिएः श्री सुमित गडोडिया, अधिवक्ता,
श्रीमती शिल्पी संदिल गडोडिया, अधिवक्ता,
श्री रंजीत कुशवाहा, अधिवक्ता।

प्रतिवादी राज्य के लिए: श्री अमित कुमार, अधिवक्ता।

10/तिथिः 12 फरवरी, 2024 दोनों पक्षों के विद्वानों अधिवक्ताओं को सुना।
द्वारा दीपक रोशन, न्यायमूर्ति

2. यह तत्काल रिट आवेदन याचिकाकर्ता द्वारा मुख्य रूप से निम्नलिखित राहतों के लिए प्रार्थना करते हुए दायर किया गया हैः-

(i) अप्रैल, 2015 से जून, 2017 की अवधि के लिए प्रत्यर्थी संख्या. 3 द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 29.12.2020 (अनुलग्नक-11) को रद्द करने/अलग करने के लिए एक उपयुक्त रिट/आदेश/निर्देश जारी करने के लिए, विशेष रूप से इस तथ्य के मद्देनजर कि याचिकाकर्ता ने उसी अवधि के लिए स्वीकार किया और विवाद में राशि ने 'सबका विश्वास कानूनी विवाद समाधान योजना (एसवीएलडीआरएस) 2019' का लाभ उठाया और 29 मई, 2022 तक योजना के तहत देय राशि का निर्वहन करने का हकदार है।

(ii) आगे उपयुक्त रिट/आदेश/निर्देश जारी करने के लिए जिसमें मूल आदेश को रद्द करने/अलग करने के लिए प्रमाण पत्र की रिट शामिल हैः 04/एस. टैक्स/संयुक्त आयुक्त/2022 दिनांक 28.02.2022 (अनुलग्नक-13) प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा पारित किया गया, जिसमें इस तथ्य के बावजूद कि याचिकाकर्ता पहले ही 'सबका विश्वास कानूनी विवाद समाधान योजना (एसवीएलडीआरएस) 2019' का लाभ उठा चुका है और 29 मई, 2022 तक देय राशि का भुगतान करके अपने पक्ष में निर्वहन प्रमाण पत्र जारी करने का हकदार है, याचिकाकर्ता पर सेवा कर, ब्याज और जुर्माना का दायित्व तय किया गया है।

(iii) 'सबका विश्वास कानूनी विवाद समाधान योजना (एसवीएलडीआरएस) 2019' की धारा 125 के तहत याचिकाकर्ता द्वारा की गई घोषणा के संबंध में याचिकाकर्ता से भुगतान स्वीकार करने के बाद 'सबका विश्वास कानूनी विवाद समाधान योजना (एसवीएलडीआरएस) 2019' की धारा 127 (8) के संदर्भ में याचिकाकर्ता को निर्वहन प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश देने वाले रिट/आदेश/निर्देश सहित आगे के रिट/आदेश/निर्देश जारी करने के लिए, जिसे याचिकाकर्ता 29 मई, 2022 तक विस्तारित अवधि के भीतर भुगतान करने का हकदार है जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या (सी) 03/2020 में स्वत: संज्ञान द्वारा विविध आवेदन संख्या 21/2022 में विविध आवेदन संख्या 665/2021 में पारित आदेश के अनुरूप है।

3. मामले के स्वीकृत तथ्य, जैसा कि अभिवचनों से स्पष्ट होगा, यह है कि याचिकाकर्ता एक स्वामित्व वाली संस्था है और पूर्ववर्ती वित्त अधिनियम, 1994 के तहत पंजीकृत था और मुख्य रूप से सेवाओं की विभिन्न श्रेणियों के तहत कर योग्य सेवाएं प्रदान करने के व्यवसाय में लगा हुआ था, अर्थात्, 'मूर्त माल सेवाओं की आपूर्ति', 'रखरखाव और मरम्मत सेवा' और 'कार्य अनुबंध सेवा'। वस्तु एवं सेवा कर खुफिया महानिदेशक, क्षेत्रीय इकाई, जमशेदपुर के अधिकारियों द्वारा याचिकाकर्ता के खिलाफ जांच शुरू की गई और याचिकाकर्ता को समन जारी किए गए और याचिकाकर्ता के प्रतिनिधि का बयान डीजीजीआई द्वारा विधिवत दर्ज किया गया। याचिकाकर्ता के खिलाफ जांच लंबित थी और याचिकाकर्ता के दायित्व की मात्रा निर्धारित की गई थी और इस तरह की जांच के लंबित रहने के दौरान, केंद्र सरकार द्वारा वित्त अधिनियम, 2019 के अध्याय-5 में 'सबका विश्वास कानूनी विवाद समाधान योजना (एसवीएलडीआरएस) 2019' नामक एक निपटान योजना को शामिल किया गया था, जो 1 अगस्त, 2019 से प्रभावी थी। उक्त योजना के तहत, उन मामलों में भी शुल्क, कर और जुर्माने के संबंध में घोषणाकर्ता को राहत दी गई थी, जहां जांच/जांच/ऑडिट लंबित था और जहां राशि की मात्रा 30 जून, 2019 को या उससे पहले निर्धारित की गई थी। चूंकि, याचिकाकर्ता के खिलाफ, डीजीजीआई द्वारा जांच लंबित थी और राशि की मात्रा 30 जून, 2019 को या उससे पहले निर्धारित की गई थी, इसलिए याचिकाकर्ता ने 14.01.2020 को दायर फॉर्म एसवीएलडीआर-1 में एक घोषणा प्रस्तुत करके एसवीएलडीआर योजना, 2019 का लाभ उठाया रूपये 88,21,496/-। उक्त घोषणा को दाखिल करने के अनुसरण में, एसवीएलडीआर नियमों के नियम 6 के साथ पठित एसवीएलडीआर योजना की धारा 127 के संदर्भ में एक वक्तव्य याचिकाकर्ता को जारी किया गया था रूपये

44,10,748/- और जो पूर्व में जमा राशि के समायोजन के बाद फॉर्म एसवीएलडीआर-3 के माध्यम से 1.00 लाख, रु 43,10,748/- याचिकाकर्ता द्वारा देय के रूप में निर्धारित किया गया था। योजना के तहत उक्त राशि एसवीएलडीआर-3 जारी होने के एक महीने के भीतर देय थी, लेकिन भारत सरकार ने अधिसूचना संख्या 1/2020-केंद्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 14 मई, 2020 के माध्यम से "तीस दिनों की अवधि के भीतर" शब्दों को प्रतिस्थापित करके राशि जमा करने की समय सीमा बढ़ा दी। "30 जून, 2020 को या उससे पहले" शब्दों और राशि के साथ। अधिसूचना संख्या 1/2020, दिनांक 14 मई, 2020 द्वारा किए गए उपरोक्त संशोधन को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गई घोषणा के अनुसार देयता का निर्धारण किया गया है। 43,10,748/- जैसा कि एसवीएलडीआर 3 में निहित है, याचिकाकर्ता द्वारा 30 जून, 2020 तक भुगतान किया जाना आवश्यक था।

4. यह एक स्वीकृत तथ्य है कि याचिकाकर्ता ने 30 जून, 2020 तक उपरोक्त राशि का भुगतान नहीं किया है और उक्त तथ्य को देखते हुए, एसवीएलडीआर योजना के तहत याचिकाकर्ता द्वारा दायर घोषणा समाप्त हो गई है। उक्त परिस्थितियों में, अप्रैल, 2015 और जून, 2017 की अवधि के लिए सेवा कर की देनदारी के लिए याचिकाकर्ता को दिनांक 29.12.2020 को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसमें याचिकाकर्ता को दिखाया गया था कि क्यों सेवा कर देनदारी, रु 88,21,496/-, दंड और ब्याज सहित इसके खिलाफ निर्धारित नहीं किया जाएगा। याचिकाकर्ता ने कारण बताओ नोटिस के लिए अपना बचाव जवाब प्रस्तुत किया, दिनांक 16.02.2022 के जवाब के माध्यम से, और स्वत: संज्ञान में लिए गए मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश पर भरोसा रखा, जो एसएमडब्ल्यू (सी) संख्या 03/2020 और तर्क दिया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के मद्देनजर, 15.03.2020 से 20.02.2022 तक भुगतान करने की अवधि को बाहर रखा गया था और, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 10.01.2022 के अनुसार स्वत: संज्ञान मामला संख्या 3/2020, याचिकाकर्ता के पास एसवीएलडीआर योजना के तहत राशि का भुगतान करने के लिए 28 मई 2022 तक का समय था। उक्त परिस्थितियों में, कारण बताओ जवाब में, यह तर्क दिया गया था कि चूंकि याचिकाकर्ता के पास अभी भी एसवीएलडीआर योजना के तहत भुगतान के लिए समय है, जिसके लिए इसकी घोषणा पहले ही स्वीकार कर ली गई है, इसलिए याचिकाकर्ता को जारी कारण बताओ नोटिस कानून की नजर में मान्य नहीं है। तथापि, याचिकाकर्ता द्वारा

प्रस्तुत उत्तर प्रतिवादी- विभाग द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था और एक न्यायनिर्णयन आदेश आदेश- 04/एस. टैक्स/ज्वाइंट कमर्शि./2022 दिनांक 28.02.2022 को प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा पारित किया गया था, जिसमें याचिकाकर्ता पर कर, ब्याज और जुर्माना लगाया गया था। इससे व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने राहत के लिए तत्काल रिट आवेदन दायर करके इस माननीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जैसा कि ऊपर बताया गया है।

5. श्री सुमित गडोडिया, याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता ने जोरदार तर्क दिया है कि दिनांक 29.12.2020 को कारण बताओ नोटिस जारी करना और बाद के आदेश-इन-ओरिजिनल दिनांक 28,02.2022 को पारित करना एसवीएलडीआर योजना, 2019 के प्रावधानों की घोर अवज्ञा है, विशेष रूप से इस तथ्य को देखते हुए कि उसी अवधि के लिए यानी जो अप्रैल, 2015 से जून, 2017 के लिए, याचिकाकर्ता ने एसवीएलडीआर योजना के तहत लाभ उठाया है और उक्त परिस्थितियों में, प्रतिवादी-प्राधिकरण द्वारा कोई कारण बताओ नोटिस और/या मूल आदेश जारी/पारित नहीं किया जा सकता था। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि योजना के तहत, याचिकाकर्ता ने 14.01.2020 को फॉर्म एसवीएलडीआर-1 में घोषणा दायर की, जिसे एसवीएलडीआर-3 में विवरण जारी करते समय प्रतिवादी प्राधिकरण द्वारा स्वीकार कर लिया गया था और योजना के तहत देय होने के लिए निर्धारित कुल देयता रु 43,10,748/- यह प्रस्तुत किया गया है कि उक्त राशि, जिसका मूल रूप से एसवीएलडीआर-3 जारी होने के 30 दिनों के भीतर भुगतान किया जाना था, केंद्र सरकार द्वारा स्वयं विस्तारित की गई थी अधिसूचना संख्या 1/2020 दिनांक 14.05.2020 से 30 जून, 2020 की अवधि तक। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि कोविड-19 वायरस के व्यापक प्रसार के कारण 23 मार्च, 2020 से लॉकडाउन लगाया गया था और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उपरोक्त आकस्मिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर स्वतः संज्ञान याचिका (सिविल) संख्या 03/2020 में न्यायिक और अर्ध-न्यायिक कार्यवाहियों के संबंध में और समय-समय पर सीमा की अवधि को 90 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया- 28.02.2022 तक, जो 28.05.2022 को समाप्त हो जाएगा।

6. विद्वान वकील आगे प्रस्तुत करते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्वत: संज्ञान रिट याचिका (सिविल) संख्या 03/2020 द्वारा याचिकाकर्ता के लिए उक्त तिथि तक भुगतान करने के लिए खुला था, यह याचिकाकर्ता के लिए उक्त तिथि तक भुगतान करने के लिए खुला

था, और, कारण बताओ नोटिस जारी करना और/या उक्त तिथि से पहले ऑर्डर-इन-ओरिजिनल पारित करना कानून में बुरा है और अलग करने के लिए उत्तरदायी है। एस. वी. एल. डी. आर. योजना की धारा 127 के प्रावधानों पर भरोसा करते हुए, यह तर्क दिया गया है कि उक्त योजना के तहत, एक घोषणाकर्ता द्वारा एक घोषणा दायर करने के बाद, नामित समिति द्वारा इसकी जांच करने की आवश्यकता है; और नामित समिति से घोषणाकर्ता को सुनवाई का अवसर देने और उसके बाद कानून के अनुसार आदेश पारित करने की आवश्यकता है। उन्होंने आगे कहा कि योजना की धारा 127 के अवलोकन से यह स्पष्ट होगा कि उक्त प्रावधान अर्ध-न्यायिक प्रकृति का है और चूंकि कार्यवाही न्यायिक प्रकृति की है, इसलिए माननीय द्वारा पारित आदेश के मद्देनजर राशि के भुगतान की सीमा की अवधि बढ़ा दी गई है। स्वत: संज्ञान रिट याचिका (सिविल) संख्या 03/2020 । याचिकाकर्ता के वकील द्वारा निम्नलिखित निर्णयों पर यह तर्क देने के लिए भरोसा रखा गया है कि एसवीएलडीआर योजना के तहत कार्यवाही अर्ध-न्यायिक कार्यवाही है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को देखते हुए, जिसने अर्ध-न्यायिक कार्यवाही के लिए सीमा की अवधि बढ़ा दी थी, याचिकाकर्ता को उपलब्ध भुगतान का समय 28 मई, 2022 तक बढ़ा दिया गया था। उक्त निर्णय इस प्रकार हैं:

(i) डिजाइन प्वाइंट कंसल्ट प्राइवेट लिमिटेड बनाम डिजाइन प्वाइंट कंसल्ट प्राइवेट लिमिटेड भारत संघ और अन्य, 2022-VIL-85-जीयूजे एसटी में रिपोर्ट किए गए (अनुच्छेद 9 & 17) ।

(ii) किरण बोरवेल बनाम भारत संघ, 2019 एससीसी ऑनलाइन कर 2665 में रिपोर्ट किया गया (वेर्बतिम) ।

(iii) फैशन डिजायर और अन्य बनाम भारत संघ, 2021 एससीसी ऑनलाइन ऑल 579 में रिपोर्ट किया गया (अनुच्छेद25)।

7. प्रतिवादी के वकील श्री अमित कुमार ने याचिकाकर्ता की दलीलों का जोरदार विरोध किया है और प्रस्तुत किया है कि एसवीएलडीआर योजना और बनाए गए नियमों के तहत,इसके अधीन, प्रपत्र एस. वी. एल. डी. आर.-3 की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर नामित समिति द्वारा इस प्रकार निर्धारित राशि का भुगतान करने के लिए एक घोषणाकर्ता की अपेक्षा

की गई थी। उन्होंने आगे कहा कि भारत सरकार द्वारा दिनांक 14 मई, 2020 की अधिसूचना के माध्यम से 30 दिनों की अवधि बढ़ाई गई थी और यह प्रावधान किया गया था कि भुगतान 30 जून, 2020 को या उससे पहले किया जा सकता है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि, निश्चित रूप से, वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता ने 14 जनवरी, 2020 को घोषणा दायर की और कहा कि घोषणा को 6 फरवरी, 2020 को नामित समिति द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। 8. विद्वान वकील आगे प्रस्तुत करते हैं कि योजना के तहत, याचिकाकर्ता को मूल रूप से 5 मार्च, 2020 तक घोषणा के अनुसार राशि का भुगतान करने की आवश्यकता थी, लेकिन अधिसूचना संख्या। 1/2020 दिनांक 4 मई, 2020, भुगतान की अवधि 30 जून, 2020 तक बढ़ा दी गई थी, लेकिन फिर भी याचिकाकर्ता देय राशि का भुगतान करने में विफल रहा है और उक्त परिस्थितियों में, याचिकाकर्ता द्वारा दायर घोषणा समाप्त हो गई है। इसके बाद ही याचिकाकर्ता को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और मूल आदेश पारित किया गया और इसमें कोई अवैधता नहीं है। वह आगे प्रस्तुत करता है कि निस्संदेह, 2019 की योजना के तहत देयता के निर्धारण के लिए कार्यवाही अर्ध-न्यायिक कार्यवाही की प्रकृति में है और एक बार देयता निर्धारित हो जाने के बाद, कार्यवाही समाप्त हो जाती है और घोषणाकर्ता को निर्धारित समय के भीतर राशि का भुगतान करने की आवश्यकता होती है; और भुगतान की अनुपस्थिति घोषणा को लैप्स और/या गैर-कानूनी के रूप में प्रस्तुत करती है।वह आगे प्रस्तुत करता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्वत: संज्ञान रिट याचिका संख्या (सी) 03/2020, सभी न्यायिक या अर्ध-न्यायिक कार्यवाही के संबंध में सामान्य या विशेष कानून के तहत निर्धारित सीमा की अवधि को 28 फरवरी, 2022 तक बढ़ा दिया गया है, जिसमें 90 दिनों की और अवधि यानिजो है 28.05.2022 तक। हालांकि, यह प्रस्तुत किया गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सीमा की अवधि बढ़ाने का उक्त आदेश याचिकाकर्ता के बचाव में नहीं आ सकता है, क्योंकि उक्त आदेश देय दायित्व के भुगतान के लिए योजना के तहत निर्दिष्ट अवधि का विस्तार नहीं करता है जो पहले से ही नामित प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया गया है

9. प्रतिवादी के विद्वान वकील ने रिट टैक्स संख्या 541/2021 दिनांक 11/08/2021 में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक अप्रकाशित निर्णय पर भी भरोसा किया, जहां समान परिस्थितियों में जहां योजना के तहत भुगतान एक घोषणाकर्ता द्वारा दायर घोषणा के अनुसार नहीं किया गया था, माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को खारिज कर दिया

था। यह प्रस्तुत किया गया है कि माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील संख्या 2070/2020 (मेसर्स. याशी कंस्ट्रक्शन बनाम भारत संघ और अन्य) और उक्त स्पेशल लीव पिटिशन माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 18.02.2022 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता इस माननीय न्यायालय से किसी भी राहत का हकदार नहीं है।

10. प्रतिद्वंद्वी पक्षों के विद्वान वकील को सुनने के बाद और संबंधित हलफनामे को पढ़ने के बाद; तत्काल रिट आवेदन में शामिल एकमात्र प्रश्न यह है कि क्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्वत: संज्ञान रिट याचिका सं. (सी) 03/2020, घोषणा के अनुसार राशि के भुगतान के लिए एसवीएलडीआर योजना, 2019 के तहत निर्धारित अवधि बढ़ाई गई है या नहीं? उपरोक्त दलीलों की सराहना करने के लिए, हम स्वत: संज्ञान रिट याचिका संख्या में पारित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को उद्धृत करना उचित समझते हैं, स्वत: संज्ञान रिट याचिका संख्या 03/2020 , दिनांक 23.03.2020 का आदेश और दिनांक 10.01.2022 के आदेश का अनुच्छेद 5, जो यहां नीचे उद्धृत किए गए हैं:

"इस न्यायालय ने कोविड-19 वायरस के कारण देश के सामने आने वाली चुनौती से उत्पन्न स्थिति और इसके परिणामस्वरूप देश भर के वादियों द्वारा अपनी याचिकाओं/आवेदनों/मुकदमों/अपीलों को दायर करने में होने वाली कठिनाइयों का स्वतः संज्ञान लिया है।

ऐसी कठिनाइयों को दूर करने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि वकीलों/वादियों को इस न्यायालय सहित देश भर के संबंधित न्यायालयों/न्यायाधिकरणों में ऐसी कार्यवाही दायर करने के लिए भौतिक रूप से आने की आवश्यकता नहीं है, यह आदेश दिया जाता है कि ऐसी सभी कार्यवाहियों में सीमा की अवधि, सामान्य कानून या विशेष कानूनों के तहत निर्धारित सीमा के बावजूद, चाहे वह क्षम्य हो या नहीं, जो प्रभाव में 15 मार्च 2020 तक इस न्यायालय द्वारा वर्तमान कार्यवाही में अगले आदेश/आदेश पारित किए जाने तक रहेगा।

हम भारत के संविधान के अनुच्छेद 141 के साथ पठित अनुच्छेद 142 के तहत इस शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं और घोषणा करते हैं कि यह आदेश सभी न्यायालयों/न्यायाधिकरणों और प्राधिकरणों पर अनुच्छेद 141 के अर्थ के भीतर एक बाध्यकारी आदेश है।

इस आदेश को सभी उच्च न्यायालयों के संज्ञान में लाया जा सकता है, अपने संबंधित अधिकार क्षेत्र के भीतर सभी अधीनस्थ न्यायालयों/न्यायाधिकरणों को संप्रेषित किया गया।

उच्च न्यायालयों के सभी रजिस्ट्रार जनरल को नोटिस जारी करें, जो चार सप्ताह में वापस किया जा सकता है।

आदेश दिनांक 10.01.2022 (सम्बंधित अनुच्छेद- 5)

"5. विद्वान वकील द्वारा दिए गए तर्कों और प्रचलित परिस्थितियों में वादियों द्वारा सामना किए जाने वाले सार्वजनिक स्वास्थ्य और प्रतिकूलताओं पर वायरस के उछाल के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, हम विविध आवेदन संख्या 21/2022 का निपटान करना निम्नलिखित दिशा-निर्देशों के साथ उचित समझते हैं।:

I. दिनांक 23.03.2020 के आदेश को बहाल कर दिया गया है और दिनांक 08.03.2021,27.04.2021 और 23.09.2021 के बाद के आदेशों की निरंतरता में, यह निर्देश दिया गया है कि 15.03.2020 से 28.02.2022 तक की अवधि सभी न्यायिक या अर्ध-न्यायिक कार्यवाही के संबंध में किसी भी सामान्य या विशेष कानूनों के तहत निर्धारित सीमा के उद्देश्यों के लिए बाहर रखी जाएगी।

II. नतीजतन, 03.10.2021 को शेष सीमा अवधि, यदि कोई हो, 01.03.2022 से उपलब्ध हो जाएगी।

III. ऐसे मामलों में जहां सीमा 15.03.2020 से 28.02.2022 के बीच की अवधि के दौरान

समाप्त हो गई होगी, सीमा की वास्तविक शेष अवधि शेष होने के बावजूद, सभी व्यक्तियों की सीमा अवधि 01.03.2022 से 90 दिनों की होगी। यदि सीमा की वास्तविक शेष अवधि 01.03.2022 से 90 दिनों से अधिक है, तो वह लंबी अवधि लागू होगी।

IV. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि 15.03.2020 से 28.02.2022 तक की अवधि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 23 (4) और 29ए, वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 की धारा 12क और परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के प्रावधान (ख) और (ग) और किसी भी अन्य कानूनों के तहत निर्धारित अवधि की गणना करने में भी बाहर रहेगी, जो कार्यवाही, बाहरी सीमा (जिसके भीतर अदालत या न्यायाधिकरण देरी को माफ कर सकता है) और कार्यवाही की समाप्ति के लिए सीमा की अवधि (अवधि) निर्धारित करता है।

11. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट होगा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कोविड-19 के कारण देश के सामने आई चुनौती और इसके परिणामस्वरूप देश भर के वादियों द्वारा अपनी याचिकाओं/आवेदनों/मुकदमों/अपीलों/अन्य सभी कार्यवाहियों को सीमित अवधि के भीतर दायर करने में आने वाली कठिनाइयों से उत्पन्न स्थिति का स्वतः संज्ञान लिया। इस पृष्ठभूमि में और कठिनाइयों को दूर करने के लिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सामान्य कानून या विशेष कानून के तहत निर्धारित सीमा के बावजूद ऐसी सभी कार्यवाहियों की सीमा की अवधि बढ़ा दी। अंतिम विस्तार दिनांक 10.01.2022 के आदेश द्वारा दिया गया था और 28.02.2022 तक 15.03.2020 की अवधि के बीच की सीमा की अवधि को सभी न्यायिक और अर्ध-न्यायिक कार्यवाही के संबंध में सामान्य या विशेष कानून के तहत निर्धारित सीमा के उद्देश्य से बाहर रखा गया था। उपरोक्त आदेश 'घड़ी रोकें' के सिद्धांत पर आधारित है जिसका अर्थ है कि निर्णय में शामिल अवधि कैलेंडर में कभी नहीं आई।

12. अब, वर्तमान रिट आवेदन में निर्धारण के लिए जो प्रश्न उत्पन्न होता है, वह यह है कि क्या याचिकाकर्ता का मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश और एसवीएलडीआर योजना, 2019 के तहत निर्धारित अवधि के तहत कवर किया जाएगा और नामित समिति द्वारा निर्धारित राशि के भुगतान के लिए संबंधित नियम माननीय सर्वोच्च

न्यायालय द्वारा 15.03.2020 से 28.02.2022 की अवधि के लिए सीमा की अवधि के बहिष्कार को देखते हुए विस्तारित होंगे?

13. निस्संदेह, 2019 की योजना की धारा 127 में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह प्रावधान किया गया है कि नामित समिति, घोषणा की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर, इलेक्ट्रॉनिक रूप यानी जो एक वक्तव्य जारी करेगी। उक्त घोषणाकर्ता द्वारा देय राशि का निर्धारण करने वाले घोषणाकर्ता को एस. वी. एल. डी. आर.-3. इसके अलावा, उक्त धारा में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान किया गया है कि जहां एक घोषणाकर्ता द्वारा घोषित राशि नामित समिति द्वारा अनुमानित राशि से अधिक है, वहां नामित समिति घोषणाकर्ता को सुनने का अवसर देगी और उसके बाद, घोषणाकर्ता द्वारा देय राशि निर्धारित करेगी। इस तथ्य में कोई विवाद नहीं है कि योजना की धारा 127 के तहत निर्धारित प्रक्रिया अर्ध-न्यायिक कार्यवाही की प्रकृति को शामिल करती है। हालांकि, एक बार नामित समिति द्वारा निर्धारण समाप्त हो जाने के बाद, घोषणाकर्ता 30 दिनों की अवधि के भीतर इस प्रकार निर्धारित राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। 30 दिनों की उक्त अवधि को प्रतिस्थापित किया गया था अधिसूचना संख्या 1/2020-केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिनांक 14 मई, 2020 को "30 जून, 2020 को या उससे पहले" शब्दों द्वारा। इस प्रकार, नामित प्राधिकरण के निर्धारण के अनुसार भुगतान करने की अवधि केंद्र सरकार द्वारा 30 जून, 2020 तक बढ़ा दी गई थी।

14. हमारी राय में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्वत: संज्ञान रिट याचिका संख्या 03/2020 का सामान्य विधि के अधीन या न्यायिक और/या अर्ध-न्यायिक कार्यवाहियों से संबंधित विशेष विधि के अधीन परिसीमा अवधि का विस्तार करने का प्रभाव था, लेकिन उक्त आदेश ने भुगतान करने के लिए निर्धारित समय सीमा का विस्तार नहीं किया था। वर्तमान मामले में, 14.01.2020 को याचिकाकर्ता द्वारा दायर घोषणा के अनुसरण में, नामित समिति ने उक्त घोषणा को स्वीकार कर लिया है और दिनांक 06.02.2020 को फॉर्म एसवीएलडीआर-3 में जारी वक्तव्य के माध्यम से याचिकाकर्ता को उसके द्वारा देय राशि के बारे में सूचित किया है। याचिकाकर्ता ने कभी भी नामित समिति द्वारा निर्धारित देय राशि के संबंध में कोई विवाद नहीं उठाया और कोई विवाद उठाने का कोई अवसर नहीं था क्योंकि नामित समिति ने घोषणाकर्ता द्वारा घोषित राशि को स्वीकार कर लिया है। उक्त परिस्थितियों में, हमारी राय में, 2022 के

2070 के निर्णय की प्रक्रिया प्रकृति में अर्ध-न्यायिक होने के नाते पहले से ही 06.02.2020 यानी जो समाप्त हो गया। जिस तारीख को याचिकाकर्ता को फॉर्म एस. वी. एल. डी. आर.-3 में विवरण जारी किया गया था। इसके बाद, याचिकाकर्ता को केवल योजना की धारा 127 (5) के संदर्भ में दायित्व का निर्वहन करने की आवश्यकता थी, जिसे अधिसूचना सं. 1/2020 दिनांक 14 मई, 2020 से 30 जून, 2020 तक। हालाँकि, याचिकाकर्ता, स्वीकार्य रूप से, उक्त दायित्व का निर्वहन करने में विफल रहा है। यह दोहराया जाता है कि न्यायिक कार्यवाही राशि के निर्धारण तक सीमित थी, अभ्यास जो पहले ही 06.02.2020 को पूरा हो चुका था और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को देखते हुए, सीमा की अवधि केवल नामित समिति द्वारा राशि के निर्धारण के उद्देश्य से बढ़ाई जा सकती थी, न कि नामित समिति द्वारा पहले से किए गए निर्धारण के अनुसार भुगतान करने के उद्देश्य से।

15. हमारी राय में, याचिकाकर्ता का यह तर्क कि भुगतान के लिए निर्धारित समय सीमा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आधार पर बढ़ाई गई थी, पूरी तरह से गलत है और कानून की नजर में मान्य नहीं है। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 18.02.2022 को विशेष अनुमति याचिका सं. 13 निर्माण बनाम भारत संघ और अन्य, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित रूप में अभिनिर्धारित किया हैः-"यह एक स्वीकृत तथ्य है कि याचिकाकर्ता ने योजना, के तहत प्रदान की गई समय सीमा के भीतर योजना के तहत राशि जमा नहीं की। 30 दिनों के भीतर। मामले को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय ने योजना के तहत जमा करने की अवधि बढ़ाने के लिए याचिकाकर्ता को राहत देने से इनकार कर दिया है। यह कानून का एक तय प्रस्ताव है कि एक व्यक्ति, जो किसी विशेष योजना का लाभ उठाना चाहता है, उसे योजना के नियमों और शर्तों का ईमानदारी से पालन करना होगा। यदि योजना के तहत समय नहीं बढ़ाया जाता है, तो यह योजना को संशोधित करने के समान होगा जो सरकार का विशेषाधिकार है। इसलिए, विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी जाती है।

लंबित आवेदन(ओं) यदि कोई हो तो उनका निपटारा कर दिया जाएगा।

16. ऊपर उल्लिखित संचयी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हम तत्काल रिट याचिका में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं देखते हैं और तदनुसार, रिट याचिका खारिज कर

दी जाती है। लंबित अंतर्वर्ती आवेदन, यदि कोई हैं, तो उनका निपटारा कर दिया जाएगा। हालांकि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

(रोंगोन मुखोपाध्याय, न्यायमूर्ति)

(दीपक रोशन, न्यायमूर्ति)

यह अनुवाद पैनल अनुवादक मदन मोहन प्रिय द्वारा किया गया है।